



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 66139

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 10666 सन् 2026

कृपाराम उर्फ टुंडे

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- जितेंद्र कुमार, केशव हरि दीक्षित, पुरुषोत्तम दीक्षित

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. श्री राहुल कुमार यादव, अधिवक्ता, ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। उसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री वी.पी. त्रिपाठी, राज्य-विपक्षी पक्ष के विद्वान अपर महाधिवक्ता, तथा श्री राहुल कुमार यादव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 4 सन् 2026, धाराओं 115(2), 110, 351(3), 105 भारतीय न्याय संहिता, थाना चकरनगर, जनपद इटावा, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्यारूप से फँसाया गया है। कथित घटना दिनांक 08.01.2026 को घटित हुई बताई जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दिनांक 10.01.2026 को धाराओं 115(2), 110, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज की गई। यह विलंब अभियोजन के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के लिए घातक है। अन्वेषण के दौरान धारा 105 भारतीय न्याय संहिता जोड़ी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक तथा सह-अभियुक्त फूल सिंह प्रधान पर सूचनादाता के पिता पर हमला करने का कथित आरोप है। परंतु, यूपीयूएमएस, सैफई, इटावा की मेमो में यह अंकित है कि मृतक दिनांक 09.01.2026 को भर्ती हुआ, जहाँ डॉक्टर ने रक्तस्रावी गला घोटने का उल्लेख किया। मृतक दिनांक 11.01.2026 को चोटों से मर गया। परंतु, शव-परीक्षण प्रतिवेदन में केवल सिर के पार्श्विका क्षेत्र पर 4x3 सेंटीमीटर का एक घाव अंकित है। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के कारण कोमा के रूप में अभिमत किया गया है। यह तर्क दिया गया कि दिनांक 09.01.2026 के चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन एवं शव-परीक्षण प्रतिवेदन के मध्य एक सारवान असंगति विद्यमान है। उक्त असंगति अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय बनाती है। मृतक के सिर पर कारित की गई एकमात्र चोट का कर्ता ज्ञात नहीं है। अस्पष्ट एवं सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त फूल सिंह प्रधान उर्फ विपिन सिंह को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7841 सन् 2026, फूल सिंह प्रधान उर्फ विपिन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, में दिनांक 27.02.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक समता का दावा करता है। आवेदक दिनांक 22.01.2026 से कारागार में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर महाधिवक्ता एवं सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों को संतोषजनक रूप से विवादित नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख के अवलोकन के उपरांत, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। दिनांक 09.01.2026 के चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन एवं शव-परीक्षण प्रतिवेदन के मध्य सारवान असंगतियाँ हैं। उक्त असंगति इस स्तर पर अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय बनाती है। मृतक को कारित की गई एकमात्र चोट का कर्ता ज्ञात नहीं है। अस्पष्ट एवं सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। सह-अभियुक्त फूल सिंह प्रधान उर्फ विपिन सिंह को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक दो माह से अधिक समय से निरुद्ध रहा है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई आशा नहीं है, और राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में विलंब करेगा या गवाहों को भयभीत करेगा, अतः प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. आवेदक - कृपाराम उर्फ टुंडे, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वह:

(i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीखों पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और

(iii) अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026

एसकेटी/-